

प्रधान कार्यालय,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

कनिष्ठ अभियन्ता (वि०याँ०) से अपर सहायक
अभियन्ता (वि०याँ०) के पद पर पदोन्नति
सम्बन्धी विवरण।

चयन वर्ष 2011–12

“टिप्पणी एवं आदेश”

कृपया चयन वर्ष 2011-2012 के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (विंयों) से अपर सहायक अभियन्ता (विंयों) के पद पर वेतनमान ₹० ९३००-३४८००, ग्रेड-पे ₹० ४८००, पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति की बैठक दिनोंक ३०.०८.२०११ को आहूत की गयी थी, जिसका कार्यवृत्त (पताका-१) संलग्न है।

वर्तमान में विभागीय ढाँचे में कनिष्ठ अभियन्ता (विंयों) के ७३ पद स्वीकृत हैं, जिनमें से अपर सहायक अभियन्ता के ५४ पद तथा १९ पद कनिष्ठ अभियन्ता (विंयों) के बनते हैं। वर्तमान में कुल ४१ कनिष्ठ अभियन्ता (विंयों) कार्यरत हैं, जिनमें से अपर सहायक अभियन्ता पद हेतु ३४ कनिष्ठ आभियन्ता (विंयों) पात्रता रखते हैं।

३४ कनिष्ठ अभियन्ता (विंयों) में से बैठक में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्मिकों को पदोन्नति हेतु चयनित किया गया है :-


१.	सामान्य वर्ग	- १५
२.	अनुसूचित जाति वर्ग	- ०५
३.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	- ०१
	कुल योग	- २१


उपरोक्त ३४ कार्मिकों में से कुल २१ कार्मिकों का चयन हो जाने के फलस्वरूप $34 - 21 = 13$ कार्मिक शेष रह जायेंगे जिनके गोप्रतिः० अप्राप्त होने के कारण चयन नहीं किया गया है।

कृपया चयन समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के क्रम में क्षेत्रों में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता (विंयों) की अपर सहायक अभियन्ता (विंयों) के पद पर निम्नानुसार पदोन्नति आदेश निर्गत किये जाने समीक्षीय होंगे :-


१. अपर सहायक अभियन्ता (विंयों) के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं अपर सहायक अभियन्ताओं के कर्तव्य एवं दायित्व समान होने तथा एक ही जॉब शार्ट के अधीन होंगे।
२. पदोन्नत कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति/तैनाती उनके वर्तमान कार्यालय में कार्यरत स्थानीय होने के कारण इन्हें कोई यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा।
३. पदोन्नत कार्मिकों को पदोन्नत पद पर दिनोंक १६.०९.२०११ तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह समझा जायेगा, कि वे पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं हैं। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप पदोन्नति कारणों मान ली जायेगी, जिस हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।


उक्त प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया अनुमोदन करना चाहेंगे। अनुमोदन की दशा में निर्गत किये जाने वाले कार्यालय झाप का स्वयं आलेख पत्रायली के दाहिनी ओर आपके अवलोकनार्थ रखा गया है।


 महाप्रबन्धक (ज़ूजल/संघक्षण) / मुख्य अभियन्ता (मु०)


 अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक)

अनुमोदनात्मक


 अधिशासी अभियन्ता (मु०)


 अधिशासी अभियन्ता (मु०)

"टिप्पणी एवं आदेश"

(क) कृपया चयन वर्ष 2011-2012 के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (विंशठों) से अपर सहायक अभियन्ता (विंशठों) के पद पर वेतनमान रु० 9300-34800, ग्रेड-पे रु० 4800, पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति की बैठक दिनोंक 30.08.2011 को आहूत की गयी थी। वर्तमान में विभागीय ढाँचे में 19 पद कनिष्ठ अभियन्ता (विंशठों) के बनते थे। कुल 41 कनिष्ठ अभियन्ता (विंशठों) कार्यरत हैं, जिनमें से अपर सहायक अभियन्ता पद हेतु 34 कनिष्ठ अभियन्ता (विंशठों) पात्रता रखते थे। 34 कनिष्ठ अभियन्ता (विंशठों) में से बैठक में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्मिकों को पदोन्नति हेतु चयनित किया गया था :—

1. सामान्य वर्ग	- 15
2. अनुसूचित जाति वर्ग	- 05
3. अनुसूचित जनजाति वर्ग	- 01
कुल योग	- 21

उपरोक्त 34 कार्मिकों में से कुल 21 कार्मिकों का चयन हो जाने के फलस्वरूप $34 - 21 = 13$ कार्मिक गोप्रतिं प्राप्त होने के कारण चयन नहीं किये जाने के कारण अवशेष रह गये थे।

(छ) दिनोंक 17.12.2011 को आहूत चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त (पताका-1) आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। उक्त कार्यवृत्त में चयन समिति द्वारा निम्नानुसार कार्मिकों की पदोन्नति हेतु चयनित किया गया है :—

1. सामान्य वर्ग	- 08
2. अनुसूचित जाति वर्ग	- 03
3. अनुसूचित जनजाति वर्ग	- 01
कुल योग	- 12

इस प्रकार 13-12=01 कार्मिक का गोप्रतिं प्राप्त न होने के कारण पदोन्नति हेतु अवशेष रह गया है।

कृपया चयन समिति द्वारा दिनोंक 17.12.2011 दी गयी संस्तुति के क्रम में धोत्रों में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता (विंशठों) की अपर सहायक अभियन्ता (विंशठों) के पद पर निम्नानुसार पदोन्नति आदेश निर्गत किये जाने समीचीन होंगे :—

1. अपर सहायक अभियन्ता (विंशठों) के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं अपर सहायक अभियन्ताओं के कर्तव्य एवं दायित्व समान होंगे तथा एक ही जॉब छार्ट के अधीन होंगे।
2. पदोन्नत कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति/तैनाती उनके दर्तमान कार्यालय में कार्यरत स्थानीय होने के कारण इन्हें कोई यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा।
3. पदोन्नत कार्मिकों को पदोन्नत पद पर दिनोंक 30.12.2011 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह समझा जायेगा, कि वे पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं हैं। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप पदोन्नति फारगो मान ली जायेगी, जिस हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

उक्त प्रस्ताव आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया अनुमोदन करना चाहेंगे। अनुमोदन की दशा में निर्गत किये जाने वाले कार्यालय ज्ञाप का स्वच्छ आलेख पत्रावली के दाहिनी ओर आपके अवलोकनार्थ रखा गया है।

*महाप्रबन्धक
(मूजल/सर्वेक्षण)/मुख्य अभियन्ता (सु०)*

*अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक)
अधिकारी अधिकारी
अधिकारी अधिकारी*

22/12

उत्तराखण्ड पेयजल निगम में कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/य०) से अपर सहायक अभियन्ता (वि०/य०) वेतनमान ₹० 9300—34800 + 4800 ग्रेड—पे के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाला प्रस्ताव :-

उत्तराखण्ड शासन (पेयजल अनुभाग) की अधिकृतना संख्या 2231/नी-2(12अधि०)/2001, दिनौक 07.11.2002 (संलग्नक-1) द्वारा उत्तर प्रदेश जल सम्परण एवं सीधर व्यवस्था अधिनियम-1975 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-86 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में यथावत् लागू है।

1. उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06-2 (92 अधि०)/2002 दिनौक 12.12.2006 (संलग्नक-2) द्वारा पुनर्गठन करते हुए पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. शासनादेश संख्या 764/उन्तीस(1)/2011 (33अधि०)/2007, दिनौक 24.06.2011 (संलग्नक-3) के द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011 अनुमोदित किये जाने के पश्चात ज्ञाप संख्या 1468/प्रशासनिक अनुभाग-प्रबन्ध निदेशक आदेश/04, दिनौक 02.07.2011 (संलग्नक-4) के द्वारा कोट्रों को प्रख्यापित की गयी है।

3. वर्तमान में स्वीकृत संरचनात्मक ढाँचे में कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/य०) के 73 पदों के सापेक्ष पदोन्नति के 75 प्रतिशत के आधार पर उक्त सेवा विनियमावली के अनुसार अपर सहायक अभियन्ता (वि०/य०) के 54 पद सृजित किये गये हैं, जिनको डिप्लोमा प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/य०) से पदोन्नति कर भारित किया जाना है।

अपर सहायक अभियन्ता (वि०/य०) :-

क्र० सं०	विवरण	स्वीकृत पद	आरक्षण की स्थिति			
			सामान्य	अनु० जाति (12%)	अनु० जनजाति (4%)	कुल
01	02	04	08	09	10	
	कनिष्ठ अभियन्ता के स्वीकृत पद	73				
1.	अपर सहायक अभियन्ता के पदोन्नत पद (73 पदों का 75 प्रतिशत)	54	42	10	02	54
2.	कनिष्ठ अभियन्ता की भर्ती हेतु अवशेष पद (73 पदों का 25 प्रतिशत)	19	14	04	01	19
3.	कार्यरत	0	0	0	0	0
	पदोन्नति के रिक्त पद		42	10	02	54

➤ डिप्लोमा प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ताओं (75 प्रतिशत कोटा) के कुल 54 पदों के सापेक्ष सामान्य संबंध के 42, अनुसूचित जाति के 10 एवं अनुसूचित जनजाति के 02 रिक्त पदों पर कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/य०) से अपर सहायक अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति की जानी है।

4. नियुक्ति का श्रोत :-

उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06-2 (92 अधि०)/2002 दिनौक 12.12.2006 द्वारा पुनर्गठन करते हुए पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासनादेश संख्या 764/उन्तीस(1)/2011 (33अधि०)/2007, दिनौक 24.06.2011 के द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011 अनुमोदित किये जाने के पश्चात ज्ञाप संख्या 1468/प्रशासनिक अनुभाग-प्रबन्ध निदेशक आदेश/04, दिनौक 02.07.2011 में उल्लेखित प्राविधानानुसार।

भर्ती - 5.(1) अपर सहायक अभियन्ता :- अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति रूप मौलिक रूप से नियुक्ति कनिष्ठ अभियन्ता में से, जिन्होंने इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुए की जायेगी।

(2) कनिष्ठ अभियन्ता :- सीधी भर्ती द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित हंजीनियरिंग/विद्युत/योगिक में 03 वर्ष का डिप्लोमा।

(3) सेवा में पदों पर भर्ती, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनियमावली के भाग पाँच में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

भाग पाँच : रिक्तियों का अवधारण 14.

नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अन्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

18. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर विनियम-15 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के आधार पर पात्र अन्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चित्रित पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अग्रिमेखों के साथ चयन समिति के समझ रखी जायेगी, जो उचित समझे जायें।

(3) चयन समिति द्वारा उपविनियम (2) में निर्दिष्ट अग्रिमेखों के आधार पर अन्यर्थियों के मामलों में विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अन्यर्थियों का साक्षात्कार भी किया जा सकता है।

(4) चयन समिति चयनित अन्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

6. उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011 के भाग-6 18(1) अनुसार अपर सहायक अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति के लिए मापदण्ड अनुपयुक्त करते हुए ज्येष्ठता होगी (संलग्नक-5)।

7. चयन प्रक्रिया:-

उल्लेखनीय है कि विभाग में वर्तनान में लागू सेवानियमावली के अनुसार कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नतियों ज्येष्ठता के आधार पर की जाती रहीं हैं। कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 479/XXX(2)2009, दिनांक 08.07.2009 (संलग्नक-6) में उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में “अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ‘ज्येष्ठता’ एवं ‘श्रेष्ठता’” के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियमावली-2009” एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रख्यापित किया गया है, जिसे प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के पृष्ठांकन संख्या 2468/उत्तराखण्ड शासन/ दिनांक 21.07.2009 द्वारा क्षेत्रों को प्रसारित किया गया है।

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011 में चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। विनियमावली में किये गये प्रविधान के अनुसार प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के कार्यालय झाप संख्या 1730/प्रशासनिक अनुनाग-प्रबन्ध निदेशक आदेश/05, दिनांक 23.07.2011 (संलग्नक-7) द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता से अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु चयन समिति का गठन किया गया है।

8. चयन समिति:-

चयन निम्नानुसार अधिकारियों की गठित चयन समिति द्वारा किया जाना है :-

1. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून - अध्यक्ष
2. महाप्रबन्धक (प्रशासन), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून - सदस्य
3. महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून - सदस्य
4. अधिकारी अभियन्ता (कार्मिक), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून - संयोजक



पदोन्नति हेतु रिक्त पद :-

अपर सहायक अभियन्ता (विं०/यौं०) के 54 पदों के सापेक्ष कोई अपर सहायक अभियन्ता (विं०/यौं०) कार्यरत नहीं हैं। अतः सामान्य वर्ग में 42 अनुसूचित जाति वर्ग में 10 तथा अनुसूचित जनजाति के 02 पद इस प्रकार कुल 54 पद रिक्त हैं।

10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण :-

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011 के भाग-३ के विनियम-६ आरक्षण में इस बात का प्राविधान है कि अनुसूचित जातियों, जन जातियों एवं अन्य किसी श्रेणी के अभियन्ताओं के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा। वर्तमान में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 1144/का-२/2001 53(१)/2001 दिनोंक 18 जुलाई, 2001 (संलग्नक-८) द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए आरक्षण क्रमशः 19 एवं 4 प्रतिशत हैं।

इस आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु पदोन्नतियों में आरक्षण विषयक रोस्टर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 1455/कार्मिक-२/2001 दिनोंक 31.08.2001 (संलग्नक-९) एवं शासनादेश सं० ८७/XXX(२)/2006, दिनोंक 21.01.2006 (संलग्नक-१०) के अनुसार छिप्लोमा प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ता से पदोन्नति हेतु सहायक अभियन्ताओं के पिछुत/ योग्यिक वर्ग में अनुसूचित जाति के कुल आरक्षित 10 पदों के सापेक्ष 10 पद रिक्त हैं तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग में रोस्टर के अनुसार पदोन्नति के 02 पदों के सापेक्ष 02 पद रिक्त हैं।

11. वरिष्ठता क्षेत्र में आने वाले कनिष्ठ अभियन्ता की पात्रता सूची:-

शासनादेश संख्या 1801/कार्मिक-२/2002, दिनोंक 23.06.2003 (संलग्नक-११) में निहित प्राविधानानुसार प्रोन्नति का मापदण्ड अनुपयुक्त को अस्तीकार करते हुए ज्योष्ठता के आधार पर 1 से 5 रिक्तियों की संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम 5 तथा 5 से अधिक रिक्तियों के लिए रिक्तियों की संख्या का छेद गूंगा परन्तु कम से कम 10 अन्यर्थियों के नाम समिलित किये जाने हैं। तदनुसार चयन वर्ष 2011-2012 में अपर सहायक अभियन्ता (विं०/यौं०) के सापेक्ष पात्र कनिष्ठ अभियन्ताओं की पात्रता सूची (संलग्नक-१२) रखी गयी है। अनुसूचित जाति वर्ग के कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची (संलग्नक-१३) एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची (संलग्नक-१४)।

12. उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011 के भाग-३ भर्ती ५.(१) में अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता ने से, जिन्होंने इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, ज्योष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुए की जायेगी तथा भाग-६ पदोन्नति १८.(२) के अन्तर्गत नियुक्ति प्राविधिकारी ज्योष्ठता के आधार पर पात्र अन्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी वरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उपरित समझी जाये। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए विं०/यौं० सर्वर्ग के अन्तर्गत पात्रता सूची में अंकित नाम के समक्ष पात्र कनिष्ठ अभियन्ताओं के पिछले ०५ वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों में की नयी प्रविष्टियों का सार पत्र (संलग्नक-१५)।

13. जींथ की स्थिति :-

अनुशासनिक जींथ प्रचलित होने अथवा न होने से सम्बन्धित विवरण पत्रायली।

14. कनिष्ठ अभियन्ता (विं०/यौं०) की वरिष्ठता सूची अक्टूबर-2010 (संलग्नक-१६)।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम में कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/य०) से अपर सहायक अभियन्ता (वि०/य०) वेतनमान रु० 9300—34800 + 4800 ग्रेड—पे के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाला प्रस्ताव :-

उत्तराखण्ड शासन (पेयजल अनुभाग) की अधिसूचना संख्या 2231/नी-2(12अधि०)/2001, दिनांक 07.11.2002 (संलग्नक-1) द्वारा उत्तर प्रदेश जल सम्मरण एवं सीधर व्यवस्था अधिनियम-1975 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की घारा-86 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में यथावत् लागू है।

1. उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06-2 (92 अधि०)/2002 दिनांक 12.12.2006 (संलग्नक-2) द्वारा पुनर्गठन करते हुए पुनरीकृत संरचनात्मक ढाँचे के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. शासनादेश संख्या 764/उन्नीस(1)/2011 (33अधि०)/2007, दिनांक 24.06.2011 (संलग्नक-3) के द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण अनुभाग-प्रबन्ध निदेशक आदेश/04, दिनांक 02.07.2011 (संलग्नक-4) के द्वारा क्षेत्रों को प्रख्यापित की गयी है।

3. वर्तमान में स्वीकृत संरचनात्मक ढाँचे में कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/य०) के 73 पदों के सापेक्ष पदोन्नति के 75 प्रतिशत के आधार पर उक्त सेवा विनियमादली के अनुसार अपर सहायक अभियन्ता (वि०/य०) के 54 पद सृजित किये गये हैं, जिनको डिप्लोमा प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/य०) से पदोन्नति कर भारित किया जाना है। उक्त के क्रम में कनिष्ठ अभियन्ता से अपर सहायक अभियन्ता के पद पर दिनांक 30.08.2011 को आहूत चयन समिति की बैठक में 21 कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/य०) की पदोन्नति की जा चुकी है। अपर सहायक अभियन्ताओं के अत्यधिक पद रिक्त होने के कारण चयन वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत सप्लीमेन्ट्री डी०पी०सी० के माध्यम से रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जानी है।

अपर सहायक अभियन्ता (वि०/य०) :-

क्र० सं०	विवरण	स्वीकृत पद	आरक्षण की स्थिति			
			सामान्य	अनु० जाति (19%)	अनु० जनजाति (4%)	कुल
01	02	04	08	09	10	
	कनिष्ठ अभियन्ता के स्वीकृत पद	73				
1.	कनिष्ठ अभियन्ता की भर्ती हेतु अवशेष पद (73 पदों का 25 प्रतिशत)	19	14	04	01	19
2.	अपर सहायक अभियन्ता के पदोन्नत पद (73 पदों का 75 प्रतिशत)	54	42	10	02	54
3.	कार्यरत	0	15	05	01	21
4.	पदोन्नति के रिक्त पद		27	05	01	33

- डिप्लोमा प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ताओं (75 प्रतिशत कोटा) के कुल 54 पदों के सापेक्ष सामान्य संवर्ग के 42, अनुसूचित जाति के 10 एवं अनुसूचित जनजाति के 02 पदों के विलम्ब क्रमशः सामान्य संवर्ग में 15, अनुसूचित जाति वर्ग के 05 एवं अनुसूचित जनजाति के 01 कार्मिक कार्यरत हैं, जिनमें सामान्य संवर्ग में 27, अनुसूचित जाति वर्ग के 05 एवं अनुसूचित जनजाति के 01 रिक्त पदों पर कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/य०) से अपर सहायक अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति की जानी है।

4. नियुक्ति का श्रोत :-

उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सूचित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06-2 (92 अधिका) /2002 दिनांक 12.12.2006 द्वारा पुनर्गठन करते हुए पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासनादेश संख्या 764/उन्तीस(1)/2011 (33अधिका) /2007, दिनांक 24.06.2011 के द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011 अनुमोदित किये जाने के पश्चात ज्ञाप संख्या 1468/प्रशासनिक अनुभाग-प्रबन्ध निदेशक आदेश/04, दिनांक 02.07.2011 में उल्लेखित प्राविधानानुसार।

भर्ती - 5.(1) अपर सहायक अभियन्ता :- अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति ऐसे मौलिक रूप से नियुक्ति कनिष्ठ अभियन्ता में से, जिन्होंने इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुए की जायेगी।

(2) कनिष्ठ अभियन्ता :- सीधी भर्ती द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित इंजीनियरिंग/विद्युत/वॉट्रिक में 03 वर्ष का डिप्लोमा।

(3) सेवा में पदों पर भर्ती, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनियमावली के भाग पाँच में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

भाग पाँच : रिक्तियों का अवधारण 14.

नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अन्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

18. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर विनियम-15 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के आधार पर पात्र अन्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समझ रखी जायेगी, जो उचित समझे जायें।

(3) चयन समिति द्वारा उपविनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अन्यर्थियों के मानलों में विधार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अन्यर्थियों का साक्षात्कार भी किया जा सकता है।

(4) चयन समिति चयनित अन्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

6. उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011 के भाग-6 18(1) अनुसार अपर सहायक अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति के लिए मापदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगी (संलग्नक-5)।

7. चयन प्रक्रिया:-

उल्लेखनीय है कि विभाग में वर्तमान में लागू सेवानियमावली के अनुसार कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नतियाँ ज्येष्ठता के आधार पर की जाती रही हैं। कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 479/XXX(2)2009, दिनांक 08.07.2009 (संलग्नक-6) में उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में “अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ‘ज्येष्ठता’ एवं ‘श्रेष्ठता’ के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियमावली-2009” को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रख्यापित किया गया है, जिसे प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के पृष्ठांकन संख्या 2488/उत्तराखण्ड शासन/ दिनांक 21.07.2009 द्वारा क्षेत्रों को प्रसारित किया गया है।

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011 में घयन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। विनियमावली में किये गये प्राविधान के अनुसार प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1730/प्रशासनिक अनुभाग—प्रबन्ध निदेशक आदेश/05, दिनांक 23.07.2011 (संलग्नक-7) द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता से अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु घयन समिति का गठन किया गया है।

8. घयन समिति:-

घयन निम्नानुसार अधिकारियों की गठित घयन समिति द्वारा किया जाना है :-

1. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून — अध्यक्ष
2. महाप्रबन्धक (प्रशासन), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून — सदस्य
3. महाप्रबन्धक (भूजल / सर्वेक्षण), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून — सदस्य
4. अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून — संयोजक

9. पदोन्नति हेतु रिक्त पद :-

अपर सहायक अभियन्ता (वि०/यौ०) के 54 पदों के सापेक्ष सामान्य संवर्ग में 15, अनुसूचित जाति वर्ग में 05 तथा अनुसूचित जनजाति के 01 कार्मिक कार्यरत हैं। इस प्रकार कुल सामान्य संवर्ग में 27, अनुसूचित जाति वर्ग में 05 तथा अनुसूचित जनजाति के 01 पद रिक्त हैं।

10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण :-

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011 के भाग-3 के विनियम-6 आरक्षण में इस बात का प्राविधान है कि अनुसूचित जातियों, जन जातियों एवं अन्य किसी भ्रेणी के अभियन्ताओं के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा। वर्तमान में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 1144/का-2/2001 53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001 (संलग्नक-8) द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए आरक्षण क्रमशः 19 एवं 4 प्रतिशत है।

इस आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु पदोन्नतियों में आरक्षण विषयक रोस्टर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 1455/कार्मिक-2/2001 दिनांक 31.08.2001 (संलग्नक-9) एवं शासनादेश सं० 87/XXX(2)/2006, दिनांक 21.01.2006 (संलग्नक-10) के अनुसार डिप्लोमा प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ता से पदोन्नति हेतु सहायक अभियन्ताओं के विद्युत/यौत्रिक वर्ग में अनुसूचित जाति के कुल आरक्षित 10 पदों के सापेक्ष 05 कार्मिक कार्यरत हैं तथा 05 पद रिक्त हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग में रोस्टर के अनुसार पदोन्नति के 02 पदों के सापेक्ष 01 कार्मिक कार्यरत हैं तथा 01 पद रिक्त है।

11. वरिष्ठता क्षेत्र में आने वाले कनिष्ठ अभियन्ता की पात्रता सूची:-

शासनादेश संख्या 1801/कार्मिक-2/2002, दिनांक 23.06.2003 (संलग्नक-11) में निहित प्राविधानानुसार प्रोन्नति का नापदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर 1 से 5 रिकितयों की संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम 5 तथा 5 से अधिक रिकितयों के लिए रिकितयों की संख्या का छेढ़ गुना परन्तु कम से कम 10 अन्यर्थियों के नाम सम्मिलित किये जाने हैं। तदनुसार चयन वर्ष 2011-2012 में अपर सहायक अभियन्ता (वि०/य००) के सापेक्ष पात्र कनिष्ठ अभियन्ताओं की पात्रता सूची (संलग्नक-12) रखी गयी है। अनुसूचित जाति वर्ग के कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची (संलग्नक-13) एवं अनुसूचित जगजाति वर्ग के कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची (संलग्नक-14)।

12. उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011 के भाग-३ भर्ती 5.(1) में अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता में से, जिन्होंने इस रूप में ०५ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुए की जायेगी तथा भाग-६ पदोन्नति 18.(2) के अन्तर्गत नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के आधार पर पात्र अन्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अमिलेशों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझी जाये। उक्त की दृष्टिगत रखते हुए वि०/य०० सर्वं के अन्तर्गत पात्रता सूची में अंकित नाम के समक्ष पात्र कनिष्ठ अभियन्ताओं के पिछले ०५ वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों में की गयी प्रयिष्टियों का सार पत्र (संलग्नक-15)।

14. जाँच की स्थिति :-

- अनुशासनिक जाँच प्रचलित होने अथवा न होने से सम्बन्धित विवरण पत्रावली।
 15. अपर सहायक अभियन्ता (वि०/य००) की कार्यरत सूची (संलग्नक-16)।
 16. कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/य००) की वरिष्ठता सूची सितम्बर-2010 (संलग्नक-17)।
 17. कनिष्ठ अभियन्ता (वि०/य००) के कुल कार्यरत कार्मिकों के सम्बन्ध में सूचना विवरण (संलग्नक-18)।

कनिष्ठ अभियन्ता (विंयाँ०) से अपर सहायक अधि. - ... विंयाँ०) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 30/08/2011 को आहूत चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

कनिष्ठ अभियन्ता (विंयाँ०) से अपर सहायक अभियन्ता (विंयाँ०) के पदों पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में गठित चयन समिति की बैठक आहूत हुई, जिसमें चयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र सं 261/मु030(मु०) गो०अधि० सामान्य/11, दिनांक 25/08/2011 द्वारा चयन समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया गया था, जिनमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. इ० एस०पी० सिंह, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल - अध्यक्ष निगम, देहरादून।
2. इ० राजेश्वर प्रसाद, महाप्रबन्धक (प्रशासन), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, - सदस्य देहरादून।
3. इ० वी०सी० गर्ग, महाप्रबन्धक (भूजल सर्वेक्षण), उत्तराखण्ड पेयजल - सदस्य निगम, देहरादून।
4. इ० पी०के० गोयल, अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक), उत्तराखण्ड पेयजल - संयोजक निगम, देहरादून।

चयन समिति के समक्ष निम्नलिखित अगिलेखों के साथ एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया:-

1. उत्तराखण्ड शासन (पेयजल अनुभाग) की अधिसूचना संख्या 2231 / नौ-2(12अधि०) / 2001, दिनांक 07.11.2002।
2. उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक फॉर्म का शासनादेश संख्या 697 / XXIX(1) / 06-2 (92 अधि०) / 2002 दिनांक 12.12.2006
3. राज्य अधीन सेवाओं में पदोन्नति द्वारा ज्योष्ट्रता एवं श्रेष्ठता के आधार पर किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया संख्या 1801 / कार्मिक-2 / 2002, दिनांक 23.06.2003
4. आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेश सं 1144 / का-2 / 2001 53(1) / 2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001
5. पदोन्नतियों में आरक्षण नीति के रोस्टर से सम्बन्धित शासनादेश सं 1455 / कार्मिक-2 / 2001 दिनांक 31.08.2001
6. राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती/पदोन्नति में आरक्षण के लिए पद आधारित रोस्टर संख्या 87 / XXX(2) / 2008, दिनांक 21 जनवरी, 2008
7. चयन वर्ष 2011-2012 में अपर सहायक अभियन्ता (विंयाँ०) के सम्भावित 54 रिवत पदों के सापेक्ष पात्र कनिष्ठ अभियन्ताओं की सामान्य सर्वंग की पात्रता सूची।
8. विंयाँ० सर्वंग के अन्तर्गत पात्रता सूची में अंकित नाम के समक्ष पात्र अभियन्ताओं के पिछले 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की प्रकृति एवं अन्य सेवा विवरण।
9. पात्रता सूची में अंकित नाम के गोपनीय प्रतिवेदन की प्रकृति / फौलडर, अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अनुशासनिक जोच प्रघलित होने अथवा न होने से सम्बन्धित विवरण।

कैशी
(उपरी)
By

2

864

10. कनिष्ठ अभियन्ता (विंशठ०) की वरिष्ठता सूची सितम्बर-2010
11. शासनादेश संख्या 764/उन्तीस(1)/2011 (३३अधि०)/2007, दिनांक 24.06.2011 के द्वारा उत्तराखण्ड प्रेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011
12. ज्ञाप संख्या 1488/प्रशासनिक अनुभाग-प्रबन्ध निदेशक आदेश/04, दिनांक 02.07.2011
13. कार्यालय ज्ञाप संख्या 1730/प्रशासनिक अनुभाग-प्रबन्ध निदेशक आदेश/05, दिनांक 23.07.2011

चयन समिति द्वारा पदोन्नति हेतु पात्र कनिष्ठ अभियन्ता (विंशठ०) संघर्ष से सम्बन्धित संलग्न सुसंगत समस्त अभिलेखों जिसमें ०५ वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की ब्राडशीट भी सम्मिलित है, का अध्ययन किया गया। अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए वरिष्ठता के आधार पर चयन करने के लिए समिति के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा गया। चयन के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-२, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 479/XXX(2)/2009, दिनांक 08.07.2009 के क्रमांक-३(१) से ३(६) पर उल्लेखित ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन की प्रक्रिया में उल्लेखित प्राविधानों के अनुरूप उपयुक्त पात्र कार्मिकों को चर्चा हेतु विचार किया गया।

कनिष्ठ अभियन्ता (विंशठ०) से अपर सहायक अभियन्ता (विंशठ०) के पद पर निम्नलिखित पात्र कनिष्ठ अभियन्ता के नामों पर विचार किया :-

१ (क). पात्रता सूची के सामान्य संघर्ष के अन्तर्गत ४२ पदों के सापेक्ष कार्यरत २३ कार्मिकों के विलक्षण निम्नलिखित १५ कनिष्ठ अभियन्ता (विंशठ०) से अपर सहायक अभियन्ता (विंशठ०) के पद पर चयन हेतु उपयुक्त पाये गये एवं पदोन्नति हेतु संस्तुति की गई।

क्रम सं०	जूँझ० (विंशठ०/या०) का नाम	पिता का नाम
०१	०२	०३
०१	श्री विनय कुमार सक्सेना	श्री कृष्ण स्वरूप सक्सेना
०२	श्री जसप्रीत सिंह ओबराय	श्री जोगेन्द्र सिंह ओबराय
०३	श्री चमन लाल	श्री राजा राम
०४	श्री सजवीर सिंह	स्व० श्री गुमान सिंह
०५	श्री नवीन चन्द्र बिष्ट	श्री प्रेमसिंह बिष्ट
०६	श्री जितेन्द्र बल्लभ शर्मा	श्री गोविन्द बल्लभ शर्मा
०७	श्री अरविन्द सिंह	श्री लक्मण सिंह
०८	श्री प्रसोद कुमार	श्री महेश चन्द्र रस्तोगी
०९	श्री आशीष कुमार	श्री ब्रह्मपाल सिंह
१०	श्री दिनेश चन्द्र	श्री मोहन चन्द्र
११	श्री विकास कुमार	श्री इलमचन्द्र
१२	श्री सुभाष कोटनाला	श्री दयाराम कोटनाला
१३	श्री संदीप कुमार	श्री पूरण सिंह
१४	श्री अरविन्द कुमार	श्री राजपाल सिंह
१५	श्री हर्षवर्धन	श्री सोमदत्त शास्त्री

तैयार
दिनेश चन्द्र

४६

४६

४६/१११

1 (ख). पात्रता सूची के अन्तर्गत सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित 08 कनिष्ठ अभियन्ताओं के गोपनीय प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण पदोन्नति हेतु इनके नाम पर विचार नहीं किया गया।

क्रम संख्या	जूँड़० (विं०/यां०) का नाम	पिता का नाम
01	02	03
01	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री हयात सिंह
02	श्री रामकुमार शर्मा	श्री एस०एन० शर्मा
03	श्री दीपांशु पाण्डे	श्री गिरीशचन्द्र पाण्डे
04	श्री राजीव सिंह	श्री उत्तम सिंह
05	श्री महेन्द्र सिंह	श्री प्रह्लाद सिंह
06	श्री शोलेन्द्र कुमार दर्मा	श्री चन्द्र प्रकाश दर्मा
07	श्री विजेन्द्र कुमार यादव	श्री हरिओम यादव
08	श्री आशीष धपलियाल	श्री भुवनेश्वर प्रसाद

सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत कुल 54 पदों के सामेश्व कार्यरत 23 कार्मिकों को घटाते हुए शेष 31 कार्मिक उपलब्ध न होने के कारण 23 पद रिक्त रखे गये हैं।

2 (क). पात्रता सूची के अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत 10 पदों के विरुद्ध निम्नलिखित 05 कनिष्ठ अभियन्ता (विं०यां०) से अपर सहायक अभियन्ता (विं०यां०) के पद पर चयन हेतु उपयुक्त पाये गये एवं पदोन्नति हेतु संस्तुति की गई। (रोस्टर क्रमांक—01, 06, 11, 16 एवं 21)

क्रम संख्या	जूँड़० (विं०/यां०) का नाम	पिता का नाम
01	02	03
01	श्री दलीप कुमार	श्री कुंवरपाल सिंह
02	श्री संदीप कुमार सिंह	श्री रामकिशन सिंह
03	श्री नमेन्द्र कुमार	श्री बालस्वरूप
04	श्री महेश कुमार	श्री दृष्टभूषण लाल
05	श्री रूपेश कुमार	श्री तीरथ राम

2 (ख). पात्रता सूची के अन्तर्गत सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित 04 कनिष्ठ अभियन्ताओं के गोपनीय प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण पदोन्नति हेतु इनके नाम पर विचार नहीं किया गया। (रोस्टर क्रमांक—26, 31, 36 एवं 41)

क्रम संख्या	जूँड़० (विं०/यां०) का नाम	पिता का नाम
01	02	03
01	श्री अशोक कुमार	श्री रामसागर राम
02	श्री संजीव कुमार	श्री धर्मपाल सिंह
03	श्री योगेन्द्र पाल सिंह	श्री महावीर सिंह
04	श्री दिनेश कुमार	श्री मामराज सिंह

कुल स्वीकृत 10 पदों के सामेश्व कार्यरत 09 पदों में से घटाते हुए कुल शेष 01 पद पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त हैं।

१५
अधिकारी

१६

१७

3 (क). पात्रता सूची के अनुसूचित जनजाति वर्ग के 02 पदों के अन्तर्गत निम्नलिखित 01 कनिष्ठ अभियन्ता (विंयाँ०) से अपर सहायक अभियन्ता (विंयाँ०) के पद पर चयन हेतु उपयुक्त पाये गये एवं पदोन्नति हेतु संस्तुति जी गई। (रोस्टर क्रमांक-24)

क्रम सं०	जू०इ० (विं०/या०) का नाम	पिता का नाम
01	02	03
01	श्री सन्तोष सिंह	श्री रामस्नेही सिंह

3 (ख). पात्रता सूची के अन्तर्गत सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित 01 कनिष्ठ अभियन्ताओं के गोपनीय प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण पदोन्नति हेतु इनके नाम पर विचार नहीं किया गया। (रोस्टर क्रमांक-48)

क्रम सं०	जू०इ० (विं०/या०) का नाम	पिता का नाम
01	02	03
01	श्री विरेन्द्र सिंह पचपाल	श्री कृष्ण धन्द पचपाल

4. सामान्य संवर्ग/अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत अतिरिक्त १५०(प्रतिशत) पैनल के अन्तर्गत कोई पात्र कार्मिक उपलब्ध न होने के कारण किसी कार्मिक का चयन नहीं किया गया।

उक्त चयन वर्ष 2011-2012 (दिनांक 01.07.2011 से 30.06.2012) तक मान्य होगा।

इ० पी०क० सुर्यल,
अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक)
एवं संयोजक चयन समिति
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

इ० पी०सी० गर्म,
महाप्रबन्धक (मूजल सर्वेक्षण)
एवं सदस्य चयन समिति
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

इ० राजेश्वर प्रसाद,
महाप्रबन्धक (प्रशासन)
एवं सदस्य चयन समिति
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

इ० एस०प० सिंह,
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
एवं अध्यक्ष चयन समिति
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

कनिष्ठ अभियन्ता (विंयाँ०) से अपर सहायक अभियन्ता (विंयाँ०) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 17/12/2011 को आहूत चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

कनिष्ठ अभियन्ता (विंयाँ०) से अपर सहायक अभियन्ता (विंयाँ०) के पदों पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में गठित चयन समिति की बैठक आहूत हुई, जिसमें चयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र सं० 335/मु०अ०(मु०) गो०अधि० सामान्य/11, दिनांक 14/12/2011 द्वारा चयन समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया गया था, जिनमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. इ० एस०पी० सिंह, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल - अध्यक्ष निगम, देहरादून।
2. इ० राजेश्वर प्रसाद, महाप्रबन्धक (प्रशासन), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, - सदस्य देहरादून।
3. इ० वी०सी० गर्ग, महाप्रबन्धक (भूजल सर्वेक्षण), उत्तराखण्ड पेयजल - सदस्य निगम, देहरादून।
4. इ० पी०के० गोयल, अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक), उत्तराखण्ड पेयजल - संयोजक निगम, देहरादून।

चयन समिति के समक्ष निम्नलिखित अभिलेखों के साथ एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया:-

1. उत्तराखण्ड शासन (पेयजल अनुमान) की अधिसूचना संख्या 2231/नौ-२(12अधि०)/2001, दिनांक 07.11.2002।
2. उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/०६-२ (92 अधि०)/2002 दिनांक 12.12.2006
3. राज्य अधीन सेवाओं में पदोन्नति द्वारा ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया संख्या 1801/कार्मिक-२/2002, दिनांक 23.06.2003
4. आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेश सं० 1144/का-२/2001 53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001
5. पदोन्नतियों में आरक्षण नीति के रोस्टर से सम्बन्धित शासनादेश सं० शासनादेश सं० 1455/कार्मिक-२/2001 दिनांक 31.08.2001
6. राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती/पदोन्नति में आरक्षण के लिए पद आधारित रोस्टर संख्या 87/XXX(2)/2008, दिनांक 21 जनवरी, 2008
7. चयन वर्ष 2011-2012 में अपर सहायक अभियन्ता (विंयाँ०) के सम्बावित 33 रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र कनिष्ठ अभियन्ताओं की सामान्य सर्वंग की पात्रता सूची।
8. विंयाँ० सर्वंग के अन्तर्गत पात्रता सूची में अंकित नाम के समक्ष पात्र अभियन्ताओं के पिछले 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की प्रकृति एवं अन्य सेवा विवरण।
9. पात्रता सूची में अंकित नाम के गोपनीय प्रतिवेदन की प्रकृति/फोल्डर, अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अनुशासनिक जाँच प्रचलित होने अथवा न होने से सम्बन्धित विवरण।
10. कनिष्ठ अभियन्ता (विंयाँ०) की वरिष्ठता सूची सितम्बर-2010
11. शासनादेश संख्या 764/उत्तीस(1)/2011 (33अधि०)/2007, दिनांक 24.06.2011 के द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011

कनिष्ठ अभियन्ता (विंयाँ०)

17/12/2011

१८

17/12/2011

12. झाप संख्या 1468/प्रशासनिक अनुभाग-प्रबन्ध निदेशक आदेश/04, दिनांक 02.07.2011
13. कार्यालय झाप संख्या 1730/प्रशासनिक अनुभाग-प्रबन्ध निदेशक आदेश/05, दिनांक 23.07.2011
14. अपर सहायक अभियन्ता (वि०/याँ०) को कार्यरत सूची।

चयन समिति द्वारा पदोन्नति हेतु पात्र कनिष्ठ अभियन्ता (वि०याँ०) संघर्ग से सम्बन्धित संलग्न सुसंगत समस्त अभिलेखों जिसमें 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की ब्राउशीट भी समिलित हैं, का अध्ययन किया गया। अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए वरिष्ठता के आधार पर चयन करने के लिए समिति के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा गया। चयन के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 479/XXX(2)/2009, दिनांक 08.07.2009 के क्रमांक-3(1) से 3(6) पर उल्लेखित ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन की प्रक्रिया में उल्लेखित प्राविधानों के अनुरूप उपयुक्त पात्र कार्मिकों को चयन हेतु विदार किया गया।

कनिष्ठ अभियन्ता (वि०याँ०) से अपर सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के पद पर निम्नलिखित पात्र कनिष्ठ अभियन्ता के नामों पर विचार किया :-

1 (क). पात्रता सूची के सामान्य संघर्ग के अन्तर्गत 13 पदों के सापेक्ष निम्नलिखित 08 कनिष्ठ अभियन्ता (वि०याँ०) से अपर सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के पद पर चयन हेतु उपयुक्त पाये गये एवं पदोन्नति हेतु संस्तुति की गई।

क्रम सं०	जू०इ० (वि०/याँ०) का नाम	पिता का नाम
01	02	03
01	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री हयात सिंह
02	श्री रामकुमार शर्मा	श्री एस०एन० शर्मा
03	श्री दीपांशु पाण्डे	श्री गिरीशचन्द्र पाण्डे
04	श्री राजीव सिंह	श्री जसवन्त सिंह
05	श्री महेन्द्र सिंह	श्री प्रह्लाद सिंह
06	श्री शोलेन्द्र कुमार दर्मा	श्री घन्द्र प्रकाश दर्मा
07	श्री विजेन्द्र कुमार यादव	श्री हरिओम यादव
08	श्री आशीष थपलियाल	श्री भुवनेश्वर प्रसाद

सामान्य संघर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत कुल 54 पदों के सापेक्ष कार्यरत $21+8=29$ को घटाते हुए शेष 25 कार्मिक उपलब्ध न होने के कारण पद रिक्त रखे गये हैं।

2 (क). पात्रता सूची के अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत 05 रिक्त पदों के विरुद्ध निम्नलिखित 03 कनिष्ठ अभियन्ता (वि०याँ०) से अपर सहायक अभियन्ता (वि०याँ०) के पद पर चयन हेतु उपयुक्त पाये गये एवं पदोन्नति हेतु संस्तुति की गई। (रोस्टर क्रमांक-26, 31 एवं 36)

क्रम सं०	जू०इ० (वि०/याँ०) का नाम	पिता का नाम
01	02	03
01	श्री सजीव कुमार	श्री धर्मपाल सिंह
02	श्री योगेन्द्र पाल सिंह	श्री महादीर सिंह
03	श्री दिनेश कुमार	श्री मामराज सिंह

कृष्ण
17/11/11

३

४
17/11/11

2 (ख). पात्रता सूची के अन्तर्गत सामान्य संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित 01 कनिष्ठ अभियन्ताओं के गोपनीय प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण पदोन्नति हेतु इनके नाम पर विचार नहीं किया गया। (रोस्टर क्रमांक- 41)

क्रम संख्या	जूँझ० (विं०/याँ०) का नाम	पिता का नाम
01	02	03
01	श्री अशोक कुमार	श्री रामसागर राम

कुल स्वीकृत 10 पदों के सापेक्ष $05+03+01=09$ पदों को घटाते हुए कुल शेष 01 पद पर पात्र अन्यथी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त है। (रोस्टर क्रमांक-48)

3. पात्रता सूची के अनुसूचित जनजाति वर्ग के 01 पद के अन्तर्गत निम्नलिखित 01 कनिष्ठ अभियन्ता (विं०याँ०) से अपर सहायक अभियन्ता (विं०याँ०) के पद पर चयन हेतु उपयुक्त पाये गये एवं पदोन्नति हेतु संस्तुति की गई। (रोस्टर क्रमांक-48)

क्रम संख्या	जूँझ० (विं०/याँ०) का नाम	पिता का नाम
01	02	03
01	श्री विरेन्द्र सिंह पंचपाल	श्री कृष्ण चन्द्र पंचपाल

4. सामान्य संवर्ग/अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत अतिरिक्त 50 प्रतिशत पैनल के अन्तर्गत कोई पात्र कार्मिक उपलब्ध न होने के कारण किसी कार्मिक का चयन नहीं किया गया।

उक्त चयन वर्ष 2011-2012 (दिनांक 01.07.2011 से 30.06.2012) तक मान्य होगा।

इ० पी०क० गाँधे,
अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक)
एवं संयोजक चयन समिति
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

इ० ही०सी० गर्ग,
महाप्रबन्धक (मूजल सर्वेक्षण)
एवं सदस्य चयन समिति
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

इ० राजेश्वर प्रसाद,
महाप्रबन्धक (प्रशासन)
एवं सदस्य चयन समिति
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

इ० एस०पी० सिंह,
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
एवं अध्यक्ष चयन समिति
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।



उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक २१०७/ अधिःअनु० - अधिः कनिष्ठ अभियन्ता (विः००) ४८६ दिनांक ०१/०९/११

// कार्यालय-ज्ञाप //

शासनादेश संख्या 765/उन्तीस(1)/2011-(33 अधिः) 2007, दिनांक 24.06.2011 तथा इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 1468/प्रशासनिक अनुमान - प्रबन्ध निदेशक आदेश/04, दिनांक 02.07.2011 द्वारा प्रख्यापित 'उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011' में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे मौलिक रूप से नियुक्ति निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता (विः००) (देतनमान रु० 9300-34800, घेड वेतन रु० 4200.00) जिन्होंने विभाग में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, ज्येष्ठता के आधार पर अपर सहायक अभियन्ता (विः००) (घेड वेतनमान रु० 9300-34800, घेड वेतन रु० 4800.00) के पद पर उक्त सेवाविनियमावली विभाग में दिनांक 02.07.2011 से प्रभावी होने की तिथि से उनके बर्तमान में कार्यरत कार्यालय में ही पदोन्नति आदेश एतद द्वारा निर्गत किये जाते हैं।

1. अपर सहायक अभियन्ता (विः००) के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं अपर सहायक अभियन्ताओं के कर्तव्य एवं वायित्य समान होगे तथा एक ही जॉब घाट के अधीन होंगे।
2. पदोन्नत कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति/तैनाती उनके बर्तमान कार्यालय में कार्यरत स्थानीय होने के कारण इन्हें कोई यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा।
3. पदोन्नत कार्यक्रमों को पदोन्नत पद पर दिनांक 16.09.2011 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह समझा जायेगा, कि वे पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं हैं। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप पदोन्नति फारगो मान ली जायेगी, जिस हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

क्र० सं०	कनिष्ठअभिः का नाम	पिता / पति का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	जन्मतिथि	कार्यरत/पदोन्नत कार्यालय का नाम
01	02	03	04	05	06
(क) सामान्य संवर्ग :-					
01	श्री विनय कुमार सरक्सेना	श्री वृष्णा रवज्जप सरक्सेना	20-11-1996	01-07-1957	निः एव अनु० इकाई (विः०), हरिद्वार
02	श्री जसप्रीत सिंह औबराय	श्री जोगेन्द्र सिंह औबराय	18-06-2005	04-12-1976	निःइ०विः० द०दून
03	श्री चमन लाल	श्री राजा राम	08-07-2005	05-10-1981	विः०शा०, द०दून
04	श्री राजवीर सिंह	स्व० श्री गुमान सिंह	24-05-2005	07-10-1969	विः०शा०, बोट्ड्वार
05	श्री नवीन चन्द्र प्रिय	श्री प्रेमसिंह प्रिय	26-08-2005	06-02-1983	विः०शा०, द०दून
06	श्री जितेन्द्र बल्लभ शर्मा	श्री गोविन्द बल्लभ शर्मा	23-08-2005	05-07-1973	प्रधान कार्यालय, द०दून
07	श्री अरविन्द सिंह	श्री लहरण सिंह	20-08-2005	25-06-1979	विः०चिक इकाई हल्द्वानी
08	श्री इमोद युनार	श्री महेश चन्द्र रम्तारी	23-08-2005	01-07-1973	विः०शा० देहरादून
09	श्री आशीष कुमार	श्री ब्रह्मपाल सिंह	25-08-2005	01-01-1981	निःइ०विः० द०दून
10	श्री दिनेश चन्द्र	श्री मोहन चन्द्र	22-08-2005	31-01-1979	निः एव अनु० इकाई (विः०), हरिद्वार

"जल संचय-जीवन संचय" "कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाएं।"

वैद्यानिक चेतावनी - जल स्रोतों को प्रदूषित करना दंपड़नीय द्वपराध है।

(2)

(18)

८

क्र० सं०	कनिंअभि० का नाम	पिता / पति का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम
11	श्री विकास कुमार	श्री इलमद्धन्द	23-08-2005	05-05-1975	य००शा०, कोटड्डार
12	श्री सुनाथ कोटनाला	श्री दयाराम कोटनाला	28-03-2006	01-04-1982	य००शा०, कोटड्डार
13	श्री संदीप कुमार	श्री पूरण सिंह	17-08-2005	25-04-1982	य००शा०, हल्दानी
14	श्री अरविंद कुमार	श्री राजपाल सिंह	22-08-2005	10-07-1979	य००शा०, कोटड्डार
15	श्री हरपर्वत	श्री सोमदत्त शास्त्री	02-01-2006	30-01-1972	य००शा०, देहरादून
(ख)	<u>अनुसूचित जाति वर्ग :-</u>				
01	श्री दलीप कुमार	श्री लुंबरपाल सिंह	24-05-2005	01-10-1977	नि० एवं अनु० इकाई (य००), हरिहार
02	श्री संदीप कुमार सिंह	श्री रामकिशन सिंह	20-05-2006	26-02-1982	य००शा०, हल्दानी
03	श्री नमेन्द्र कुमार	श्री बालस्वरूप	19-05-2006	02-10-1978	य००शा०, देहरादून
04	श्री महेश कुमार	श्री बृजमूर्ण लाल	06-07-2005	04-04-1976	य००शा०, कोटड्डार
05	श्री रघुपति कुमार	श्री तीरथ राम	05-09-2005	02-07-1982	य००शा०, हल्दानी
(ग)	<u>अनुसूचित जनजाति वर्ग :-</u>				
01	श्री सन्तोष सिंह	श्री रामस्नेही सिंह	14-10-2005	02-08-1979	य००शा०, हल्दानी

(एस०पी० सिंह)

८) मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्र०स० एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/पित निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमाऊ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, गौड़ी/नैनीताल।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विभ, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता / परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
6. अध्यक्ष / महामंत्री, डिप्लोमा इंजीनियर्स संगठन, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. अधिष्ठान अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।



महाप्रबन्धक (मुज़रै/सर्काशन)



उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक २४३३ / अधिकारी - अधिकारी कनिष्ठ अभियन्ता (विभागीय) / ५३२ दिनांक २३/१२/११

// कार्यालय-ज्ञाप //

शासनादेश संख्या 765/उन्नीस(1)/2011-(33 अधिकारी) 2007, दिनांक 24.06.2011 तथा इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 1468/प्रशासनिक अनुभाग - प्रबन्ध निदेशक आदेश/04, दिनांक 02.07.2011 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 2011" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे मौलिक रूप से नियुक्ति निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता (विभागीय) (विवरनमान रु० ९३००-३४८००, ग्रेड वेतन रु० ४२००.००) जिन्होंने विभाग में ०५ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, ज्येष्ठता के आधार पर अपर सहायक अभियन्ता (विभागीय) (विवरनमान रु० ९३००-३४८००, ग्रेड वेतन रु० ४८००.००) के पद पर उनके वर्तमान तैनाती कार्यालय में ही पदोन्नति आदेश एतद द्वारा निर्गत किये जाते हैं।

1. अपर सहायक अभियन्ता (विभागीय) के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं अपर सहायक अभियन्ताओं के कर्तव्य एवं दायित्व समान होंगे तथा एक ही जाँच चार्ट के अधीन होंगे।
2. पदोन्नत कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति/तैनाती उनके वर्तमान कार्यालय में कार्यरत स्थानीय होने के कारण इन्हें कोई यात्रा भल्ला एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा।
3. पदोन्नत कार्मिकों को पदोन्नत पद पर दिनांक 30.12.2011 तक प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह समझा जायेगा, कि वे पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं हैं। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप पदोन्नति फारगो मान ली जायेगी, जिस हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

क्र० सं०	कनिष्ठअधिकारी का नाम	पिता/पति का नाम	कार्यरत/पदोन्नत कार्यालय का नाम
०१	०२	०३	०४
(क) सामान्य संवर्ग :-			
०१	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री हयात सिंह	योग्यिक शाखा, अल्मोड़ा
०२	श्री रामलक्ष्मी शर्मा	श्री एस०एन० शर्मा	योग्यिक शाखा, अल्मोड़ा
०३	श्री दीपांशु पाण्डे	श्री गिरीशचन्द्र पाण्डे	निर्माण इकाई (योग्यिक), हल्द्वानी
०४	श्री राजीव सिंह	श्री जसवन्त सिंह	योग्यिक शाखा, कोटद्वार
०५	श्री महेन्द्र सिंह	श्री प्रह्लाद सिंह	योग्यिक शाखा, अल्मोड़ा
०६	श्री शेलेन्द्र कुमार यर्मा	श्री चन्द्र प्रकाश यर्मा	निः एवं अनु० इकाई (गगा) (यो०), हरिद्वार
०७	श्री विजेन्द्र कुमार यादव	श्री हरिओम यादव	४०८००यो०, नेनीताल
०८	श्री आशीष यपतियाल	श्री भुवनेश्वर प्रसाद	योग्यिक शाखा, अल्मोड़ा

"जल संचय-पीयन संचय" "कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाइये।"
वैधानिक चेतावनी - जल स्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है।

क्र० सं०	कनिभिर का नाम	पिता/पति का नाम	कार्यरत/पदोन्नत कायोलय का नाम
01	02	03	04
(ए) अनुसूचित जाति वर्ग :-			
01	श्री संजीव कुमार	श्री धर्मपाल सिंह	निः एव अनु० इकाई (गंगा) (यौ०), हरिद्वार
02	श्री योगेन्द्र पाल सिंह	श्री महावीर सिंह	निर्माण इकाई (योग्यिक), देहरादून
03	श्री दिनेश कुमार	श्री मानराज सिंह	निर्माण इकाई (योग्यिक), हल्द्वानी
(ग) अनुसूचित जनजाति वर्ग :-			
01	श्री विरेन्द्र सिंह पंचपाल	श्री कृष्ण चन्द्र पंचपाल	योग्यिक शाखा, देहरादून

*मेरा संकेत
(एस०पी० सिंह)*
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पूर्सी० एवं दिनांक तारीख :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. दैयकिक अधिकारी, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमाऊ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी/नैनीताल।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
6. अध्यक्ष/महामंत्री, डिप्लोमा इंजीनियर्स संगठन, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. अधिष्ठान अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

*मेरा संकेत
महाप्रबन्धक (मूर्तल/सर्वेक्षण)
मेरा संकेत
मेरा संकेत*